न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 32 सन 2022

अनवान :–

1. मंगेज कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन नीमला तहसील नोहर ।
2. दलीपसिह पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन नीमला तहसील नोहर
3. चन्द्र प्रकाश पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन नीमला तहसील नोहर
4. गोविन्द इसराम पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन चक 16 जेएसएन (गुडिया) नोहर
5. भगतुराम पुत्र निकुराम जाति जाट साकिन चक16 जेएसएन(गुडिया)तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. मनफुल पुत्र नारायण जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
3. रामदयाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
4. निकुराम पुत्र मनफुलराम इसराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
5. विधादेवी पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
6. रूकमा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
7. भागीरथ पुत्र धापा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
8. शारदा पुत्री धापा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
9. सरोज पत्नी रामनिवास पुत्र धापा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी नीमला (नोहर)
10. मनोज कुमार पुत्र रामनिवास पुत्र धापा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी नीमला (नोहर)
11. पवन कुमार पुत्र रामनिवास नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सरोज पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
12. पूनम पुत्री रामनिवास नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सरोज पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
13. मोनिका पुत्री रामदयाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर।
14. सरोज पुत्री रामदयाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
15. मंजू पुत्री निकुराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
16. रामप्यारी पुत्री निकुराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी नीमला(नोहर)
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 24/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 74/74 की कुल 2.0980हैक्‍ व रोही मौजा निमला के खाता संख्या 162/158 की कुल 1.5300हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 40/34 की कुल 15.5180हैक्‍ प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब दर्ज है व रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 46/40 की कुल 21.7830हैक्‍ भूमि में से 3253/21783 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व मृतक पातो पुत्री भूरा के नाम 4008/7261 हिस्सा दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज मनफुल के नाम से दर्ज थी एव वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज है मनफुल एव उसकी पत्नी पातोदेवी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है मनफुल एव पातो के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा दो खातो में भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम से दर्ज है जो पैतृक सम्पति की आय अथवा विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम से दर्ज हुई जो पैतृक सम्पति हे जिसमें भी वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

प्रतिवादी संख्या 5 ,6 वादीगण की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की बहन है प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 वादीगण की मृतक बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की बहन के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 13 ,14 वादीगण की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 3 की पुत्रिया हे प्रतिवादी संख्या 15 ,16 वादीगण की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 4 की पुत्रीया है एव प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का दादा एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादीगण के पिता है प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण अपने पुत्रों के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो वादीगण के पूर्वज है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि पूर्व में उनके पूर्वजा के नाम से दर्ज थी प्रतिवादी संख्या 1 एव उनके पूर्वजो ने पैतृक कृषि भूमि एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है वादी के पूर्वज पातो का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है अर्थात वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 16 जो वादीगण का दादा/पिता /बुआ एवं मृतक बुआ के वारिसान/बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम उसके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 17 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 74/74 की कुल 2.0980हैक्‍ व रोही मौजा निमला के खाता संख्या 162/158 की कुल 1.5300हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 40/34 की कुल 15.5180हैक्‍ प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब दर्ज है व रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 46/40 की कुल 21.7830हैक्‍ भूमि में से 3253/21783 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व मृतक पातो पुत्री भूरा के नाम 4008/7261 हिस्सा दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज मनफुल के नाम से दर्ज थी एव वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज है मनफुल एव उसकी पत्नी पातोदेवी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है मनफुल एव पातो के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा दो खातो में भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम से दर्ज है जो पैतृक सम्पति की आय अथवा विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम से दर्ज हुई जो पैतृक सम्पति हे जिसमें भी वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

प्रतिवादी संख्या 5 ,6 वादीगण की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की बहन है प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 वादीगण की मृतक बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की बहन के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 13 ,14 वादीगण की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 3 की पुत्रिया हे प्रतिवादी संख्या 15 ,16 वादीगण की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 4 की पुत्रीया है एव प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का दादा एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादीगण के पिता है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण अपने पुत्रों के पक्ष में किया हुआ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 74/74 की कुल 2.0980हैक्ट व रोही मौजा निमला के खाता संख्या 162/158 की कुल 1.5300हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 40/34 की कुल 15.5180हैक्ट प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब दर्ज है व रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 46/40 की कुल 21.7830हैक्ट भूमि में से 3253/21783 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व मृतक पातो पुत्री भूरा के नाम 4008/7261 हिस्सा दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है तथा वादीगण के पूर्वजा एवं दादा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी पैतृक भूमि की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादीगण के पिता के नाम दर्ज करवाई गई है जो सयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति हे जिसमें वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 का हक हिस्सा है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 16 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 46/40 की कुल 21.7830हैक्ट में मृतक पातो पुत्री भूरी का नाम कलमजन किया जाकर एव रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 74/74 की कुल 2.0980हैक्ट व रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 162/158 की 1.5300हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त तीनो खाते में 1/3 हिस्सा में वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब व 1/3 हिस्सा वादीगण संख्या 3 ,4 बहिब तथा 1/3 हिस्सा वादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 40/34 की कुल 15.5180हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डेर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मंगेज कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन नीमला तहसील नोहर ।
2. दलीपसिंह पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन नीमला तहसील नोहर
3. चन्द्र प्रकाश पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन नीमला तहसील नोहर
4. गोविन्द इसराम पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन चक 16 जेएसएन (गुडिया) नोहर जिला हनुमानगढ।
5. भगतुराम पुत्र निकुराम जाति जाट साकिन चक16 जेएसएन(गुडिया)तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. मनफुल पुत्र नारायण जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
3. रामदयाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
4. निकुराम पुत्र मनफुलराम इसराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
5. विधादेवी पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
6. रूकमा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
7. भागीरथ पुत्र धापा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
8. शारदा पुत्री धापा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
9. सरोज पत्नी रामनिवास पुत्र धापा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. मनोज कुमार पुत्र रामनिवास पुत्र धापा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. पवन कुमार पुत्र रामनिवास नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सरोज पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
12. पूनम पुत्री रामनिवास नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सरोज पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
13. मोनिका पुत्री रामदयाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर।
14. सरोज पुत्री रामदयाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
15. मंजू पुत्री निकुराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
16. रामप्यारी पुत्री निकुराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 407 सन 2022 निर्णय दिनांक– 24/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 46/40 की कुल 21. 7830हैक में मृतक पातो पुत्री भूरा का नाम कलमजन किया जाकर एव रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 74/74 की कुल 2.0980हैक व रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 162/158 की 1.5300हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त तीनो खाते में 1/3 हिस्सा में वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब व 1/3 हिस्सा वादीगण संख्या 3 ,4 बहिब तथा 1/3 हिस्सा वादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 40/34 की कुल 15.5180हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)